ANNEXURE -I

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940

No. 511

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

सं.भा.आ.प.-34(41)/2018-मेड./170045.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुन: संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

- 1. (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।
 - (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में "चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला–पात्रता मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 4(3) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले का पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान (या वनस्पित-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान)/ जीव-प्रौद्योगिकी तथा अंग्रेजी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना चाहिए और विनियम 4 के खंड (2) में यथा उल्लिखित अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान (या वनस्पित-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान)/जीव प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए और इसके अलावा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" की मेरिट सूची में आना चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान (या वनस्पित-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान)/ जीव प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 50% के बजाए 40% होंगे। विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विशिष्ट विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान/ (या वनस्पित-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान) जीव प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर न्यूनतम अंक 50% के बजाए 45% होंगे।

बर्शते यह कि किसी ऐसे अभ्यर्थी, जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठा है, जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है, को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति अनंतिम रूप से दी जा सकती है और एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के

825 GI/2019

लिए चयन हो जाने की स्थिति में उसे उस पाठ्यक्रम में दाखिल नहीं किया जाएगा, जब तक वह विनियम 4 के अंतर्गत पात्रता मापदंड पूरा नहीं कर लेता।

सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में, वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5% सीटें, 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' की मेरिट सूची के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार बैंचमार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गई "विशिष्ट विकलांगता" परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न है और मेडिसिन पाठ्यक्रम में पढ़ने हेतु विकलांगता वाले अभ्यर्थियों की पात्रता, परिशिष्ट 'ज' के अनुसार होगी। यदि किसी श्रेणी विशेष में, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें, अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती हैं, तो इन सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल कर लिया जाएगा।

3."स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली 1997" में परिशिष्ट 'च' की सातवीं पंक्ति के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जाएगी:

क्र. सं.	दाखिले का कार्यक्रम	केन्द्रीय काउंसलिंग		राज्य काउंसलिंग
		अखिल भारतीय कोटा	मानित + सी1	
7क.	शैक्षिक सत्र का प्रारंभण		1 अगस्त	

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव

[विज्ञापन-/III/4/असा./525/18]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामत: "स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली 1997" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015, 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017, 04.07.2017, 23.01.2018, 06.02.2018 और 21.05.2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट - "ज"

एमबीबीएस में दाखिले के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं " वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

टिप्पणी:

- 1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
- 2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, 5 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)मशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।
- 3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बैंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।
- 4. "शारीरिक रूप से विकलांग" (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का इस्तेमाल किए जाएगा।

क्र.सं.	विकलांगता	विकलांगताओं का	विनिर्दिष्ट विकलांगता	गता विकलांगता की रेंज			
	प्रकार	प्रकार		मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाट्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं	
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति*	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता	
		सहित गतिक विकलांगता (क से च)	ख. प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात**				
		4)	ग. बौनापन				
		- 1 -	घ. मांसपेशीय डिस्ट्राफी				
			ङ. तेजाब के प्रहार से पीडित				
			च. अन्य*** जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि				
			चाहिए तथा तदनुरूपी अनु **दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्म देखी जानी चाहिए। ***चिकित्सा पाठ्यक्रम के	थों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता पर ध्यान दिया त्नुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। जी संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तद्नुरूपी अ हेए। ट्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।			
		ख. दृष्टि क्षति	क. नेत्रहीनता	40% से कम	1000	40% के बराबर	
	(*)	(*)	ख. निम्न दृष्टि	विकलांगता (अर्थात श्रेणी	¥	या इससे अधिक विकलांगता	
				'0(10%)', 'I (20%)' और 'II (30%')		(अर्थात श्रेणी III और इससे ऊपर	
		ग. श्रवण क्षति@	क. बहरा	(20%)' और 'II (30%') 40% से कम			
	2	ग. श्रवण क्षति@	क. बहरा ख. कम सुनाई देना	(20%)' और 'II (30%')	-	और इससे ऊपर	
		ग. श्रवण क्षति@	ख. कम सुनाई देना (*) 40% से अधिक की दृष्टि पड़ने के लिए पात्र बनाया र विकलांगता को आधुनिक सिहायता से 40% के बैंचमा @ 40% से अधिक की श्रालिए पात्र बनाया जा सक विकलांगता को सहायक उप	(20%)' और 'II (30%') 40% से कम विकलांगता ष्टे क्षति/ दृष्टि <u>विकलांग</u> ज्ञा सकता है और इस श् नेम्न दृष्टि सहायक उपर्व के से कम के स्तर तक ल वण विकलांगता वाले विकलांग ता है और इस शर्त के	व्यक्तियों को स्नातक चिकित अधीन आरक्षण दिया जा 40% के बैंचमार्क से कम के स	और इससे ऊपर 40% के बरावर या इससे कम विकलांगता क चिकित्सा शिक्षा में जा सकता है कि दृष्टि ग्रीफायर इत्यादि की सा शिक्षा में पढ़ने के सकता है कि श्रवण तर तक लाया जाए।	
		ग. श्रवण क्षति@	ख. कम सुनाई देना (*) 40% से अधिक की दृष्टि पड़ने के लिए पात्र बनाया र विकलांगता को आधुनिक सिहायता से 40% के बैंचमा @ 40% से अधिक की श्रालिए पात्र बनाया जा सक विकलांगता को सहायक उप	(20%)' और 'II (30%') 40% से कम विकलांगता ष्टे क्षति/ दृष्टि <u>विकलांग</u> ज्ञा सकता है और इस श् नेम्न दृष्टि सहायक उपर्व के से कम के स्तर तक ल वण विकलांगता वाले विकलांग ता है और इस शर्त के	ार्त के अधीन आरक्षण दिया करण जैसे कि टेलीस्कोप/ मै ाया जाए। व्यक्तियों को स्नातक चिकित इ अधीन आरक्षण दिया जा	और इससे ऊपर 40% के बरावर या इससे कम विकलांगता क चिकित्सा शिक्षा में जा सकता है कि दृष्टि ग्रीफायर इत्यादि की सा शिक्षा में पढ़ने के सकता है कि श्रवण तर तक लाया जाए।	

		\$ यह प्रस्ताव दिया ज	ाता है कि एमबीबीएस पाठ्यः	क्रम में पढ़ने का पात्र	होने के लिए दाखिले हेतु वाक् बुर्जि	द्वेमता प्रभावित		
		नहीं होंगे।	(एस आई ए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा। इस स्कोर से अधिक वाले व्यक्ति एमवीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र नहीं होंगे। 40% तक वाचाघात लब्धि वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र हो सकते हैं परंतु इसके अधिक वे न तो					
			में पढ़ने के पात्र होंगे और न			100 Ibo SCII Williamo		
2.	बौद्धिक विकलांगता		क. विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगताएं (वोधात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया	पैमाना नहीं है, इ	नीएलडी की गंभीरता आंकने के वि सलिए 40% का कट ऑफ, मनः ग्रकी आवश्यकता है।			
			डिस्केलकुलिया डिस्स्प्राक्सिया और विकासात्मक एल्फासिया) #	40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता- परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/ विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता		
			ख. आत्म-विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए) के अनुसार 40%- 60% विकलांगता, जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानिसक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तृत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	60% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता की मौजूदगी और/ या यदि व्यक्ति को विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए अनुपयुक्त पाया		
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत)	मानिसक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धित के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धितयां विकिसत कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। ""मेडिसन में प्रैक्टिम करने के लिए फिटनेस की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाए जिनका जैसे कि		

4.	आगे उल्लेखित	क. चिरकालिक •••••••	i. बहुल ऊतक दृढ़न	40% से कम विकलांगता	40%-80%	भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
	के कारण विकलांगता	विकलांगता स्थितियां ii. पार्किनसेनिज्म ख. रक्त विकृतियां i. हीमोफीलिया 40%	ii. पार्किनसेनिज्म	विकलागता	विकलांगता	से अधिक विकलांगता
			i. हीमोफीलिया	40% से कम	40%-80%	80%
			विकलांगता	विकलांगता	से अधिक	
			iii. सिक्कल सैल रोग			विकलांगता
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामत: बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है:		
				% का निम्न मूल्य किया गया हो। इ मामलों में किया	ांगता के % का उच्च मूल्य और ख य जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल रि जाए और व्यक्ति विशेष के मामले अनुसार दाखिले और/या आरक्षण वे	के लिए परिकलित वेकलांगताओं वाले में मौजूद विशिष्ट

BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

No. MCI-34(41)/2018-Med./170045.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely: -

- 1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education(Amendment), 2019.
 - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", under the heading of "Admission to the Medical Course-Eligibility Criteria" clause 4(3) shall be substituted as under:

To be eligible for admission to MBBS course, a candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology (or Botany and Zoology)/Biotechnology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology (or Botany and Zoology)/Biotechnology at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of Regulation 4 and in addition must have come in the merit list of "National Eligibility-cum-Entrance Test" for admission to MBBS course. In respect

of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other Backward Classes the minimum marks obtained in Physics, Chemistry and Biology (or Botany and Zoology)/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 40% instead of 50%. In respect of candidates with specified disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50%.

Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination the result of which has not been declared, he/she may be provisionally permitted to take up the National Eligibility-cum-Entrance Test and in case of selection for admission to the MBBS course, he/she shall not be admitted to that course until he fulfils the eligibility criteria under Regulation 4.

5% of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government aided higher educational institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, based on the merit list of 'National Eligibility-cum-Entrance Test'. For this purpose the "Specified Disability" contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is annexed in Appendix 'G' and the eligibility of candidates to pursue a course in medicine with specified disability shall be in accordance with Appendix 'H'. If the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective Category.

3 In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", after 7th row of Appendix-'F', the following row shall be added as under:

Sl.	Schedule for Admission	Central Co	ounseling	State
No.		All India Quota	Deemed + CI	Counseling
7A.	Commencement of Academic Session	1 st August		X

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./525/18]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part–III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended *vide* MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21/09/2016, 10/03/2017, 04/07/2017, 23/01/2018, 06/02/2018 & 21/05/2018.

Appendix "H"

Guidelines regarding admission of students with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS

Note 1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 15th June 2017.

- 2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)" notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 4th January 2018.
- 3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
- 4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH)

SI.	Disability	Type of	Specified Disability		Disability Range	
No.	Type	Disabilities		Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability,	a. Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability	More than 80%

		including	h Carabral Dalau**	T		1	
		Specified	b. Cerebral Palsy** c. Dwarfism	-			
		Disabilities (a to f).		4			
			d. Muscular Dystrophy				
			e. Acid attack victims				
			f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.				
					ensations in fingers and onding recommendation	I hands, amputation, as see looked at.	
			** Attention should be and corresponding reco			cognitive function etc.	
	-		*** Both hands intact, essential to be consider		ions, sufficient strength dical course	and range of motion are	
		B. Visual	a. Blindness	Less than 40%		Equal to or More	
		Impairment (*)	b. Low vision	disability (i.e. Category '0 (10%)', 'I (20%)' & 'II (30%')	-	than 40% Disability (i.e. Category III and above)	
		C. Hearing	a. Deaf	Less than 40%		Equal to or more	
		impairment@	b. Hard of hearing	Disability	-	than 40% Disability	
			(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate Medical Education and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc.				
			@ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate Medical Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.				
		D. Speech & language disability\$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability	
		\$ It is proposed that for admission to MBBS course the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (Which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the MBBS course. The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the MBBS course.					
			hasia Quotient (AQ) upto eligible to pursue the MB				
2.	Intellectual disability		a. Specific learning disabilities (Perceptual	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.			
			disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability - But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/aids/ infrastructural changes by the Expert Panel	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability	

			b. Autism spectrum	Absence or	Currently not	Equal to or more
			disorders	Mild Disability, Asperger syndrome (disability of 40-60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for MBBS course by an expert panel	recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing MBBS course by an expert panel
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinsonism	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
		b. Blood	i. Haemophilia	Less than 40%	40-80% disability	More than 80%
		Disorders	ii. Thalassemia	Disability		
			iii. Sickle cell disease	-		
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	recommendation namely, Visual Intellectual Dis Multiple Disabi Combining Fo	all above while deciding with respect to present, Hearing, Speech & ability, and Mental Illudity. The property of the control	ence any of the above, Language disability, ess as a component of the related Gazette
					$\frac{a + b (90-a)}{90}$	
				disability % as o	er value of disability % calculated for different d	lisabilities)
				more than one individual. This disabilities, and	d for computing the disabling condition is formula may be used recommendations regardle as per the specific dispersion of the spe	s present in a given in cases with multiple ding admission and/or

MANOJ KUMAR MANOJ KUMAR VERMA
VERMA Date: 2019.02.08
13:16:54+05'30'

ANNEXURE-II

• List of Centres who will issue Disability Certificates as per 21 Benchmark Disabilities given under RPWD Act-2016.

S/No.	Centres who will issue Disability Certificates as per 21 Benchmark Disabilities given under RPWD Act-2016	City/State
1.	Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital,	New Delhi
2.	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (for Locomotor Disability only)	Mumbai
3.	Institute of Post Graduate Medical Education & Research	Kolkata
4.	Madras Medical College	Chennai
5.	Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound	Mumbai, Maharashtra
6.	Goa Medical College	Goa
7.	Government Medical College, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala
8.	SMS Medical College	Jaipur, Rajasthan
9.	Govt. Medical College and Hospital, Sector32	Chandigarh
10.	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	Agartala/Tripura

CERTIFICATE OF DISABILITY

(As per Gazette Notification No. MCI-34(41)/2018-Med./170045 dated 5th February, 2019 for admission to Medical Courses in All India Quota)

	icate No.		Dated Recent Passport Size Photograph				
Name	of the Designated Disab	ility Centre (as per A	ANNEXURE):	of the candidate duly attested by			
This to	o certify that Dr. / Mr. /	Ms		the issuing authority			
Aged_	Years Son/ I						
R/o				XXC			
NEET	Roll No	, Rank No	, has the following				
Disabi	lity (Name of the Specifi	ied Disability)					
and has	s Permanent Physical Imp	pairment(PPI) with the	Disability Range (in percentage	ge)			
of	(in wor	eds) (in F	'igures).				
•	Please tick on the "Spe (Assessment may be done on the b Empowerment)		dinary, Part-II, Section 3 Sub-section(ii), M	inistry of Social Justice and			
S/No.	Disability Type	Type of Disability	Specified Dis	ability			
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability B. Visual Impairment C. Hearing Impairment D. Speech & Language Disability	a. Leprosy cured person, b. Cerebra Muscular Dystrophy, e. Acid attack Amputation, Poliomyelitis a. Blindness b. Low Vision a. Deaf b. Hard of hearing a. Organic/ Neurolog	c Victims, f. others such as			
2.	Intellectual Disability		a. Specific Learning Disabilities(P	_			
	7/00		Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & b. Autism Spectrum Disorders	Developmental Apnasia			
3.	Mental Behaviour		a. Mental illness				
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinsonism				
	M. M. L. Divil 1977	b. Blood Disorders	i. Haemophilia, ii. Thalassemia, iii.				
5.	Multiple Disabilities including Deaf Blindness		More than one of the above specific	ed disabilities			
•	• Conclusion: He/ She is Eligible/ Not Eligible for admission in Medical/ Dental courses as per the MCI/ DCI Guidelines subject to his being otherwise medically fit.						
Siş	gn & Name	Sign & Nam	ne Sign & N	ame			

(Concerned Specialist)

(Concerned Specialist)

(Concerned Specialist)